न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 09/2026 बउनवानी जगराम सैनी **बनाम** उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र रामलाल सैनी निवासी सेमीपुरा ढाणी मलारना डूँगर

GCMS No-2026/9

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
4.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.8.2025 उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर मे भेजे गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति " उपजिला कलेक्टर** मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2026/723 दिनांक 23.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2025 मे चाही गयी सूचना (कुल 4 पृष्ठो) हेतु शुल्क राशि जमा करवाने हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक /आरटीआई/2026/540 दिनांक 11.11.2026 द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ठ द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.10.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने बाबत उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक 540 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपीलान्ट चाहे तो वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner